2.12.2025 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा से प्रकरण स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण को पंजीबद्ध किया जाकर उभय पक्षों को नोटिस जारी करें। प्रकरण आयन्दा सुनवाई हेतु दिनांक 24.12.2025 को पेश करें।

24.12.2025

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान की तामील-अदम पुनः लौट आयी है। उभयपक्षकारान की ओर से कोई हाजिर भी नहीं है। पत्रावली का अवलोकन करने पर संज्ञान में आया कि मौजूदा प्रकरण में विवादित भूमि ग्राम उकारपुरा, तहसील कोटड़ी में स्थित है। जिससे सम्बंधित विवादों के निस्तारण सम्बंधित भौगोलिक अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निहीत नहीं है। लिहाजा मूल पत्रावली अग्रीम कार्यवाही हेतु न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय-भीलवाड़ा को पुनः प्रेषित हो। पत्रावली इस न्यायालय के दर्ज रजिस्टर से पुनः कम की जावें।

अति. जिला कलक्टर
[illegible]